प्रेस विज्ञप्ति
जनपद बस्ती
दिनांक-20.02.2025

पुलिस टीम पर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास करने वाले पशु तस्करी से संबंधित रुपये 25,000/- के इनामिया अंतर्जनपदीय वांछित अभियुक्त सद्दाम को थाना कलवारी पुलिस, थाना लालगंज पुलिस व एस0ओ0जी0 टीम बस्ती की संयुक्त कार्यवाही के दौरान पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार कर उसके कब्जे से एक अदद देशी तमंचा 315 बोर किया गया बरामद-

थाना कलवारी पुलिस, थाना लालगंज पुलिस व एस0ओ0जी0 टीम बस्ती की संयुक्त कार्यवाही में दिनांक-13.02.2025 को थाना लालगंज क्षेत्रान्तर्गत महादेवा के निकट गोवंश पशु लदे पिकअप गाड़ी संख्या-BR-28-GA-9927 से पुलिस टीम को जान से मारने की नियत से उन पर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास करने के संबंध में थाना लालगंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0 40/2025 धारा 109 B.N.S., धारा- 3/5-ए/8 गोवध निवारण अधिनियम, धारा-11 पशु के प्रति क्रुरता का निवारण अधिनियम-1960 व धारा-207 M.V. Act से संबंधित अंतर्जनपदीय वांछित अभियुक्त 1- सद्दाम पुत्र अफजल उर्फ मदारी को दिनांक-19.02.2025 को समय करीब 20:55 बजे थाना कलवारी क्षेत्रान्तर्गत थन्हा मुड़ियारी सड़क पर करीब 100 मीटर आगे दाहिने स्थित बाग़ से पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से 1- एक अदद देशी तमंचा 315 बोर, 2- एक अदद खोखा कारतूस 315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर, 3- एक अदद मोटरसाईकिल पल्सर गाड़ी संख्या-UP-58-AH-7157 (काले रंग की) बरामद किया गया | पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार अभियुक्त के बायें पैर में घुटने के नीचे गोली लगी है जिसका दवा-इलाज सी0एच0सी0 बनरहा में चल रहा है |

गिरफ्तारी व बारामदगी के आधार पर थाना कलवारी जनपद बस्ती पर अभियुक्त 1- सद्दाम पुत्र अफजल के विरुद्ध मु0अ0सं0-30/2025 धारा-109 B.N.S. व 3/25/27 Arms Act पंजीकृत कर अन्य आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है |

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1- सद्दाम पुत्र अफजल उर्फ मदारी उम्र करीब 30 वर्ष निवासी ग्राम मोहम्मदपुर कठार थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद सन्तकबीर नगर (उ0प्र0) |

बरामदगी का विवरण-

1- एक अदद देशी तमंचा 315 बोर, |

2- एक अदद खोखा कारतूस 315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर |

3- एक अदद मोटरसाईकिल पल्सर गाड़ी संख्या-UP-58-AH-7157 (काले रंग की) |

4- एक अदद पंच लोहे का, एक अदद एंड्रायड मोबाईल व नगद रुपया 1,220/- |

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त 1- सद्दाम पुत्र अफजल से पूछताछ किया गया तो उसके द्वारा बताया गया कि मैं गौकशी का काम करता हूं जिसके सिलसिले में पूर्व में दिनांक-13.02.2025 को 07 गोवंश पशु लदे पिकअप गाड़ी संख्या-BR-28-GA-9927 से अपने भाई 2-अरशद पुत्र अफजल व भाई अरशद के दोस्त 3-नाम पता अज्ञात के साथ जनपद गोण्डा से ले कर बिहार राज्य ले जा रहा था कि थाना लालगंज क्षेत्रान्तर्गत महादेवा के पास पुलिस वालों द्वारा घेर लिया गया था जिस पर हम लोग अपनी गाड़ी मोड़ कर पुलिस टीम को जान से मारने की नियत से उन पर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास करते हुए भाग रहे थे कि पुलिस टीम द्वारा हमारी गाड़ी को रोकने के लिए गाड़ी के पहिए में गोली मार कर पंचर कर दिया गया था जिसे हम लोग कुछ दूर जाने के बाद छोड़कर भाग गये थे जिसमें बिहार राज्य का रहने वाला पिकअप गाड़ी मालिक भी मिला हुआ है | दिनांक-19.02.2025 को भी मैं छुट्टा गोवंश पशुओं के चक्कर में आया हुआ था कि आप लोगों द्वारा मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया |

गिरफ्तार अभियुक्त 1- सद्दाम पुत्र अफजल का आपराधिक इतिहास-

1- मु0अ0सं0-30/2025 धारा-109 B.N.S. व 3/25/27 Arms Act थाना कलवारी जनपद बस्ती |

2- मु0अ0सं0 40/2025 धारा 109 B.N.S., धारा- 3/5-ए/8 गोवध निवारण अधिनियम, धारा-11 पशु के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम-1960 व धारा-207 M.V. Act थाना लालगंज जनपद बस्ती |

3- मु0अ0सं0-237/2023 धारा-201, 380, 411, 457 IPC थाना कलवारी जनपद बस्ती |

4- मु0अ0सं0-121/2023 धारा-3/5(ए)/8 गोवध निवारण अधिनियम व धारा-11 पशु के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम-1960 थाना परसरामपुर जनपद बस्ती |

5- मु0अ0सं0-23/2024 धारा-3(1) उ0प्र0 गिरोह बंद समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम-1986 थाना परसरामपुर जनपद बस्ती |

6- मु0अ0सं0-61/2022 धारा-3/5(ए)/8 गोवध निवारण अधिनियम व धारा-11 पशु के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम-1960 थाना लालगंज जनपद बस्ती |

7- मु0अ0सं0-84/2022 धारा-3/5(ए)/8 गोवध निवारण अधिनियम व धारा-11 पशु के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम-1960 थाना लालगंज जनपद बस्ती |

8- मु0अ0सं0-347/2019 धारा-304, 504, 506 IPC व 3(2)(V) SC/ST Act थाना खलीलाबाद जनपद सन्तकबीर नगर (उ0प्र0) |

9- मु0अ0सं0-430/2017 धारा-380, 457 IPC थाना खलीलाबाद जनपद सन्तकबीर नगर (उ0प्र0) |

10- मु0अ0सं0-719/2017 धारा-380, 457 IPC थाना खलीलाबाद जनपद सन्तकबीर नगर (उ0प्र0) |

11- मु0अ0सं0-858/2017 धारा-380, 457, 411 IPC थाना खलीलाबाद जनपद सन्तकबीर नगर (उ0प्र0) |

12- मु0अ0सं0-1411/2016 धारा-380, 457, 411 IPC थाना खलीलाबाद जनपद सन्तकबीर नगर (उ0प्र0) |

13- मु0अ0सं0-1478/2016 धारा-380, 411 IPC थाना खलीलाबाद जनपद सन्तकबीर नगर (उ0प्र0) |

14- मु0अ0सं0-1498/2016 धारा-380, 411 IPC थाना खलीलाबाद जनपद सन्तकबीर नगर (उ0प्र0) |

15- मु0अ0सं0-1500/2016 धारा-3/25 Arms Act थाना खलीलाबाद जनपद सन्तकबीर नगर (उ0प्र0) |

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1- थानाध्यक्ष कलवारी जनार्दन प्रसाद जनपद बस्ती |

2- थानाध्यक्ष लालगंज सुनील कुमार गौड़ जनपद बस्ती |

3- प्रभारी एस0ओ0जी0 टीम चन्द्रकान्त पाण्डेय जनपद बस्ती |

4- प्रभारी चौकी कुदरहा उ0नि0 राम अशोक यादव थाना लालगंज जनपद बस्ती |

5- हे0का0 पन्नेलाल, हे0का0 विकास सिंह, चालक हे0का0 रामप्रीत यादव थाना कलवारी जनपद बस्ती |

6- चालक हे0का0 रोहित, का0 अनिल यादव थाना लालगंज जनपद बस्ती |

7- हे0का0 इरशाद खान, हे0का0 धर्मेन्द्र कुमार, का0 चन्दन भारती एस0ओ0जी0 टीम जनपद बस्ती |

8- हे0का0 देवेश यादव सर्विलांस सेल जनपद बस्ती |